खण्ड 7 अंक—5

12 सितम्बर, 1984

21 भाद्रपद 1906 (शक्)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

अधिकृत विवरण

हिमाचल प्रदेश

(पंचम विधान सभा)

(इस खण्ड में 5 अंक हैं)

Documentation Officer,
H. P. Vidhan Sabha,
SHIMLA - 171004

मूल्य 4 रु०

to be plied in other towns of this Pradesh. After this amendment the procedure for the collection of passenger tax chargeable from the operators of stage carriage will be simplified and will minimise the chances of pilferage.

The Bill seeks to achieve this objective.

Sir, with these words, Mr. Deputy Speaker, with your permission I beg to move that the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill, 1984, (Bill No. 21 of 1984) be taken into consideration.

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दि हिमाचल प्रदेश पैसैंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1984 (बिल नं. 21 आफ 1984) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि दि हिमाचल प्रदेश पैसैंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1984 (बिल, नं. 21 आफ 1984) पर विचार किया जाए ?

प्रस्ताव स्वीकार।

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ?

प्रस्ताव स्वीकार। खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक के अंग बने ?

प्रस्ताव स्वीकार। खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक के अंग बने।

अब लोक निर्माण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि दी हिमाचल प्रदेश पैसैंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेण्डमेन्ट) बिल, 1984 (बिल नं. 21 आफ 1984) को पारित किया जाए।

Public Works Minister : Mr Deputy Speaker, Sir, with your permission I beg to move that the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill, 1984, (Bill No. 21 of 1984) be passed.

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दि हिमाचल प्रदेश पैसैंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेण्डमेन्ट) बिल, 1984 (बिल नं. 21 आफ 1984) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि दि हिमाचल प्रदेश पैसैंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेण्डमेन्ट) बिल, 1984 (बिल नं. 21 आफ 1984) को पारित किया जाए ?

प्रस्ताव स्वीकार। बिल पारित हुआ।

उपाध्यक्ष : अब माननीय वन मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

Forest Minister : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the Himachal Pradesh Preservation of Forest and Maintenance of Supplies of Forests based essential commodities Bill, 1984, (Bill No. 22 of 1984) for consideration.

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 22, पर विचार किया जाए।

श्री रूप सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो विधेयक इस माननीय सदन में

Documentation Officer,
H. P. Vidhan Sa...

लाया है, इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी को भी और वन मन्त्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वन काट रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से वन काटते रहे, तो कुछ सालों में ही हिमाचल प्रदेश बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से जो माननीय सदन में लाया है, मैं समझता हूं कि वनों से जो प्रोड्यूस होती है, उसको लेने में काफी सहायता मिलेगी।

मैंने इसमें कुछ अमेण्डमेन्ट्स दी हैं, मैंने केवल उनके विषय में ही कहना है। इसमें क्लाज 7 (वन) (ए) में कहा गया है।

"7(1) (a)—Make a report in writing of the fact to a Judicial Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides."

तो इसमें मुझे यह कहना है कि जुडिश्यल मैजिस्ट्रेट की जगह यहाँ पर चीफ जुडिश्यल मैजिस्ट्रेट हो जाए। और दूसरा मुझे यह कहना है कि इसकी सब क्लाज 3 आफ क्लाज 7 में लास्ट लाइन में है।

"Clause 7(3)—If any person fails to comply with an order issued under clause (b) of sub-section (1), he shall, unless he proved that it was not possible for him to comply therewith and that he had, withint he period specified in the order, informed the office mentioned in the order of the reason which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both."

तो यह जो वन अधिकारी है, यहां मुझे यह निवेदन करना है कि कम से कम यह 5 साल की सजा होनी चाहिए। एक और मेरा अमेण्डमेण्ट क्लाज 15 में सबक्लाज 4 में है—

"Clause 15 (4)—If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term with may extend to two years, or with fine, or with both."

इसमें मेरा निवेदन है कि यह सेवन ईयर्स कर दी जाए।

वन मन्त्री : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, अमेण्डमेण्ट्स तो रूप सिंह जी की आई नहीं है।

उपाध्यक्ष : अभी विचार की स्थिति में है। अमैंडमैंट मूव नहीं हुई हैं। अभी नहीं हुई अमैंडमैंट मूव।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक (1984 का विधेयक संख्या 22) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।

(व्यवधान)

श्री किशोरी लाल : इस पर अब खण्डशः विचार होगा।

उपाध्यक्ष : विचार की स्थिति पर मैंने आपको समय दे दिया है।

Documentation Officer,
H. P. Vidhan Sabha
SHIMLA - 171004

श्री किशोरी लाल : नहीं, नहीं सर, क्लाजवाईज विचार होगा ।

उपाध्यक्ष : इस पर संशोधन आएंगे, उस पर फिर समय में आपको दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री किशोरी लाल : सर, क्लाज पर भी बोल सकते हैं और अमैंडमैंट पर भी बोल सकते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : नहीं इसमें आपको समय नहीं मिलेगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने ।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 7 :

उपाध्यक्ष : इस पर दो संशोधन सर्वश्री रूप सिंह और दिले राम जी की ओर से आए हैं । क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगे ? या मैं उनकी ओर से प्रस्तुत समझूं ?

श्री रूपसिंह ठाकुर : हां, प्रस्तुत समझें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि खण्ड.....

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह संशोधन दिया, वे तो हाजिर नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष : रूप सिंह जी हैं ।

मुख्य मंत्री : यह दोनों का ज्वाईंट है क्या ? (व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह : एक है, दूसरा भी आ जाएगा.....

मुख्य मंत्री : ये आ गए..... ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि खण्ड 7 (1) (क) पृष्ठ 3 पंक्ति 5 में शब्द "न्यायिक मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर 'मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट' किया जाए ।

नम्बर दो खण्ड 7 (3) पृष्ठ 3 पंक्ति 20 के शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" कर दिया जाए । चर्चा होगी और उसके बाद सम्बन्धित मन्त्री उत्तर देंगे ।

श्री किशोरी लाल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रूपसिंह जी और दिलेराम जी की ओर से जो यह संशोधन दिया गया है, उसके पीछे जो भावना छिपी हुई है, उसकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि अवश्य जाना चाहिए । सबसे प्रथम तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को, इस सरकार की ठाकुर देवी सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे स्वस्थ वन-सम्पदा जो हमारी है, उसका कितनी तेजी के साथ ह्रास हो रहा है, हुआ है । इसकी चर्चा इस प्रदेश में नहीं, सारे केन्द्र तक और उसमें चिन्ता के साथ यह विधेयक लाए और यहां पर प्रावधान भी रखा गया है कि इतनी अवधि तक की उनको पनिशमैंट दी जा सकती है और उस पनिशमेंट को हम विरोधी दल के तौर पर कहते हैं कि वह पनिशमैंट को बढ़ाया जाए । लेकिन साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि जिस नेक नीयत से यह लाए हैं, सरकार इस विधेयक को । वहां मेरा एक निवेदन है कि करोड़ों रुपये के घपले सामने आए,

लाख रुपये के सामने आए हैं और आज भी अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि छोटे-छोटे कोर्टों में छोटे-छोटे न्यायालयों में जो मुकदमें चल रहे हैं, इलिसिट फैलिंग के, अवैध कटान के, उसके अन्दर कौन पकड़ा जाएगा ? उसके अन्दर पकड़ा जाएगा पंजू राम। कौन ? राईट-होल्डर जिसने एक दरख्त काटा है। उसमें पकड़ा जाएगा खिलू राम। कौन? जिसने दो दरख्त काटे हैं। मैं उसकी वकालत नहीं करना चाहता; वह कभी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इसके लिए श्रीगणेश जो होना चाहिए माननीय मुख्य मन्त्री जी उस जिस नीयत से आप लाए हैं, उस सन्दर्भ में आपसे आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को लाते हुए और आपके पास जो पहले पावरज़ हैं, फारैस्ट एक्ट के तहत पैनेलाईज़ करने की, चालान करने की, आप हमको एक बात बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, उसमें भले मैं आता हूं, कोई भी आता है, कोई राजनीतिक या बिग हाऊस का कोई मालिका जिसने फोरैस्ट प्रोडूयस के साथ बहुत बड़ा घपला किया हो, हजारों की संख्या में दरख्त काटे हैं। यहाँ पर सूचना दी जाती है कि डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की लकड़ी यहां से अवैध रूप से यहां से चली गई। इसलिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये में पंजू राम नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। कोई विधायक हो सकता है। इनफलुयशियल आदमी हो सकता है. ठेकेदार हो सकता है, जिसके साथ, हम तो चार्ज करते हैं कि उनके साथ इनके मिली-भगत होने के कारण यह अपने जंगल जो है, ये नष्ट हो रहे हैं। मेरा आग्रह यह है कि इसका श्रीगणेश जो है वह छोटों से नहीं करें, उनसे न करके, करप्शन खत्म होगी ऊपर से, चपरासी से खत्म नहीं होगी। यदि हमारी मन्त्री जिन के ऊपर में कोई आक्षेप नहीं करता, हमारी मुख्य मन्त्री जी जो 'मैन आफ दा इंटेगिरिटी, मैन आफ आनैस्टी अगर होंगे तो स्वतः ही करप्शन का सवाल स्वतः ही बन्द हो जाएगा। ऊपर के लोगों से इसकी शुरूआत होनी चाहिए और इसी दृष्टि से हमने कहा कि अपनी वन-सम्पदा को बचाने के लिए सजा जो होनी चाहिए, वह ज्यादा होनी चाहिए। सजा ज्यादा होगी, तभी जाकर वन-सम्पदा बचेगी।

इन शब्दों के साथ पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि इसको इम्पलीमैंट करने के लिए बड़ों से शुरू करें। छोटों-छोटों के चालान करके व्यर्थ में परेशान करके यहां दिखाने के लिए। कि पांच हजार डिटैक्ट कर लिए। कितने डिटैक्ट किए और उनकी पालियत कितनी बनेगी ? वह बनेगी डेढ़ लाख रुपये और कोई एक दरख्त 'बान' का काटता है, उसको भी डिटैक्ट कर लो। एक झाड़ी काटता है, उसको भी चालान कर दो और जो जंगल साफ करेगा, जो कनाईवैंस करेगा, उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो इस विधेयक को लाने का कोई अर्थ मैं समझता हूं कि बाकी नहीं रहेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

Forest Minister : Mr. Dy. Speaker, Sir, the Act itself is quite clear that there is no discrimination between smaller offenders and a bigger one. Whosoever the offender is, he should be punishable under this Act. Moreover, the instances now cited by my friend, Mr. Kishori Lal that such Binno Lal and such person will be penalised and the bigger fries would go scot free. That is not the case here. The intention of the Act is to prevent all sorts of illicit felling and destruction of our forests in the way

Documentation Officer,

we can convenieniently do. We are going to restrict that and for that purpose, this Act has been brought about and these offenders who are suspected, you know, they can be at once put under detention. But there is again sometime space given to them also that within five days or within ten days, they will get the chargesheet as to under what circumstances, they have been detained and after that an Advisory Committee which will be presided over by a Retired High Court Judge or a Sitting High Court Judge and two other Members, who will also be having a rank equal to that of the High Court Judge or who is eligible to be appointed as High Court Judge. I think such an Advisory Committee which will scrutinise the offences of the man suspected under this crime, they will decide, they will recommend to the Govt. whether this detention should be continued or such offenders should be acquitted and under such circumstances, when the case is recommended to the Government, then the detention is recommended for one year or so. So, in that case, I think, any offence committed by any person, whether he is detained for one year or whether he is detained for six months or two years, that means the sting of the detention and the crime which has enabled him to be detained, you know that has been proved and that sting is sufficient to deter such offenders in future from going in for such offences. I think, in view of my explanation given here and the previous explanation, I gave that the amendments put up by Shri Roop Singh Ji are not in order because the ordinance already approved by the Central Government has been duly scruitnised by legal pundits at the State Headquarters and also at the Government of India level. In view of these, I request Mr. Roop Singh Thakur to withdraw the amendment.

उपाध्यक्ष : तो क्या सर्वश्री रूप सिंह ठाकुर तथा दिले राम जी माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधन को वापस लेना चाहेंगे ?

श्री रूप सिंह : सर, वापिस ले लेते हैं।

उपाध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें ?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संशोधन वापस हुआ।

उपाध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 7 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 8 से 14 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खड 8 से 14 विधेयक का अंग बने।

खंड 15—इस पर एक संशोधन सर्वश्री रूपसिंह ठाकुर जी तथा दिले राम जी की तरफ से आया है। अतः मैं उनकी तरफ से इसे प्रस्तुत हुआ समझता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि खंड 15, पृष्ठ 5 पंक्ति 24 में 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष कर दिया जाये।

अब इस पर चर्चा होगी।

Documentation Officer,
H.P. Vidhan Sa...

Forest Minister : Mr. Dy. Speaker, Sir, the amendments moved by Mr. Roop Singh Thakur, the Hon'ble Member from that side, I think they are not at all needed and are not in order because whatever provisions were made earlier in the Bill, all parameters in this respect were taken into consideration. Moreover, the Bill was sent in the form of ordinance to the Government of India and it was duly approved from that side also In view of all such circumstances, I do not think there is any necessity of amending these clauses. I hope Mr. Roop Singh Thakur will withdraw the amendments.

उपाध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री जी ने जो पहले उत्तर दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने संशोधन को वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रूप सिंह ठाकुर : वापस ले लेते हैं जी।

उपाध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

संशोधन वापिस हुआ।

उपाध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 15 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधाई सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय वन मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाये।

Forest Minister : Mr. Dy. Speaker, Sir, I beg to move that the Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forests Based Essential Commodities Bill, 1984 (Bill No. 22 of 1984) be passed.

उपाध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि द हिमाचल प्रदेश वन परिक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकार)

बिल पारित हुआ।

Documentation Officer,
H. P. Vidhan Sabha,
SHIMLA - 171004